राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–4) विभाग

क्रमांक–प.5(5)प्रसु/अनु.–4/2006 जयपुर, दिनांक : 24.12.2008

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों में यह निर्देशित किया गया है कि अधिकारी/कर्मचारीगण विभाग/कार्यालय में समय पर उपस्थित होकर राज कार्य संपादित करें।

सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा सम संख्यक परिपत्र दिनांक 5.12.2006 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे तथा इस क्रम में परिपत्र समसंख्यक दिनांक 28.7.2007, 27.3.2008 व 8.8.2008 प्रसारित किये गये थे।

परन्तु आकस्मिक निरीक्षण से यह देखने में आया है कि सचिवालय, विभागाध्यक्षों व जिला स्तरीय कार्यालयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित नहीं की जा रही है। समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई बार निर्देश जारी किये गये हैं तथा इस बारे में दिनाक 27.3.2008 द्वारा कार्यालयध्यक्षों की जिम्मेवारी भी निश्चित की गई है।

अतः सभी प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवगण व विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है कि वे स्वयं की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों की भी कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

24.12.08

(डी.सी.सामंत)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव/विशिष्ठ सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर
6. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाएं, राजस्थान
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
10. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर
11. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
12. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
13. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त, सचिवालय, जयपुर,
14. रक्षित पत्रावली

(आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव